भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1827

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

ई-श्रम पोर्टल की स्थिति

1827. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की राज्य, लिंग और व्यावसायिक श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने वाले पंजीकृत कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए ई-श्रम पोर्टल की प्रभावकारिता के संबंध में आकलन किया है और यदि हां, तो इन आकलनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) पंजीकरण प्रक्रिया में चुनौतियों का समाधान करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 100% पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। दिनांक 3 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है, जिनमे से आधे से अधिक महिलाएं हैं (53.68%)।

राज्य-वार, लिंग-वार और व्यवसाय श्रेणी-वार, पंजीकरण ब्यौरा क्रमशः अनुबंध I, अनुबंध II और अनुबंध III में है।

जारी..2/-

बजट घोषणा के विजन के अनुसार, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और अब तक ई-श्रम के माध्यम से प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाएं पहले ही एकीकृत/ मैप की गईं हैं, जिनमें प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)।

ई-श्रम पोर्टल की कारगरता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया गया है।

मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करने और असंगठित कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन।
ii. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
iii. रोजगार और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एन सीएस) और कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
iv. पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन सुसाध्य बनाने के लिए, ई-श्रम को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
v. सरकारी योजनाओं का वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी प्रदान करने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
vi. जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएमएस अभियान।
vii. ई-श्रम पर पंजीकरण करने हेतु कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के लिए सहायक मोड पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाएं चालू की गई थी।

viii. ई-श्रम को न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है, ताकि कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल में पंजीकरण/अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा सके।

ix. ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी 2025 को ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता की शुरुआत की, जिसमें भाशिनी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। यह संवर्धन अब कामगारों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

x. असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और संबंधित सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम के साथ एकीकृत कल्याण योजनाओं तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है, जिससे पहुंच और सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार होता है।

*** ******

अनुबंध I

"ई-श्रम पोर्टल की स्थिति" पर माननीय सांसद डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 4 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32,984
2	आंध्र प्रदेश	82,78,582
3	अरुणाचल प्रदेश	2,04,159
4	असम	76,25,041
5	बिहार	2,97,84,018
6	चंडीगढ़	1,86,256
7	छत्तीसगढ़	85,51,016
8	दिल्ली	35,20,346
9	गोवा	77,670
10	गुजरात	1,19,51,388
11	हरियाणा	53,73,158
12	हिमाचल प्रदेश	19,88,766
13	जम्मू और कश्मीर	35,75,377
14	झारखण्ड	96,37,220
15	कर्नाटक	1,06,87,903
16	केरल	60,23,160
17	लद्दाख	33,896
18	लक्षद्वीप	2,818
19	मध्य प्रदेश	1,86,69,796
20	महाराष्ट्र	1,75,61,195
21	मणिपुर	4,55,685
22	मेघालय	3,30,557
23	मिजोरम	65,107
24	नागालैन्ड	2,34,120
25	ओडिशा	1,35,67,509
26	पुदुचेरी	1,90,711
27	पंजाब	57,99,009
28	राजस्थान	1,45,78,594
29	सिक्किम	42,833
30	तमिलनाडु	90,69,411
31	तेलंगाना	44,82,351
32	दादरा नगर हवेली व दमन और दीव	74,771
33	त्रिपुरा	8,89,395
34	उत्तर प्रदेश	8,38,24,946
35	उत्तराखंड	30,65,635
36	पश्चिम बंगाल	2,64,38,711
	कुल	**30,68,74,094**

अनुबंध II

"ई-श्रम पोर्टल की स्थिति" पर माननीय सांसद डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 4 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की लिंग-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**लिंग**	**पंजीकरण**
1	महिलाएं	16,47,36,072
2	पुरुष	14,21,30,667
3	अन्य	7,355
कुल		**30,68,74,094**

अनुबंध III

"ई-श्रम पोर्टल की स्थिति" पर माननीय सांसद डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 4 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की व्यवसाय-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	व्यवसाय क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या
1	कृषि	15,99,36,962
2	परिधान	2,00,36,504
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	82,06,116
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	44,522
5	सौंदर्य और वेलनेस	20,51,964
6	पूंजी वस्तुएँ और विनिर्माण	64,21,937
7	सन्निर्माण	2,77,31,452
8	घरेलू और पारिवारिक कामगार	2,89,04,451
9	शिक्षा	51,56,353
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	49,86,500
11	खाद्य उद्योग	14,06,177
12	रत्न और आभूषण	10,13,275
13	कांच और सिरेमिक	2,86,619
14	हस्तशिल्प और कालीन	23,19,790
15	स्वास्थ्य देखभाल	34,18,685
16	चमड़ा उद्योग कार्य	60,69,527
17	खनन	4,49,069
18	विविध	1,36,65,316
19	संगीत उपकरण	1,09,882
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	29,10,812
21	संगठित खुदरा	87,678
22	प्रिंटिंग	4,94,673
23	निजी सुरक्षा	4,52,043
24	पेशेवर	8,12,367
25	खुदरा	23,41,729
26	सेवा	2,93,228
27	कपड़ा और हथकरघा	2,04,164
28	तंबाकू उद्योग	26,89,300
29	पर्यटन और आतिथ्य	41,69,416
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,03,583
	कुल	**30,68,74,094**

******